भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2144
उत्तर देने की तारीख 09.12.2024

वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना

2144. श्री एंटो एन्टोनी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और अब तक कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस योजना से वर्ष-वार कितने वयोवृद्ध कलाकारों को लाभ हुआ है;

(ग) उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए लंबित आवेदनों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकृत कुल आवेदनों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): बजट अनुमान 2024-25 के तहत 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता स्कीम' के लिए आवंटित धनराशि और अब तक संवितरित राशि निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

आवंटित निधियां	संवितरित राशि
26.00	14.31

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित वयोवृद्ध कलाकारों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	लाभान्वित वयोवृद्ध कलाकारों की संख्या
2019-20	3188
2020-21	2000
2021-22	3029
2022-23	3651
2023-24	3811

(ग): चयनित कलाकारों को वित्तीय सहायता जारी करना कतिपय अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कि, वर्ष में एक बार डिजिटल आयु प्रमाणपत्र (डीएलसी), 5 वर्ष में एक बार वार्षिक आय प्रमाणपत्र, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कलाकार पेंशन, यदि कोई हो, की प्राप्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज जमा करने पर निर्भर करता है। चयनित कलाकारों की ओर से अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर, जो वर्ष भर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है, शीघ्रता से वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

(घ): स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पूर्ण पाए गए आवदेनों को उनके गुणावगुण के आधार पर मूल्यांकन और अनुशंसा हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है। विगत पांच वर्षों के दौरान, पूर्ण आवेदनों में से अनुमोदित आवेदनों का प्रतिशतता नीचे दी गई है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ण आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदन	अनुमोदित आवेदनों की प्रतिशतता
1.	2019-20	1208	411	34
2.	2020-21	2603	1821	70
3.	2021-22	2737	2251	82
4.	2022-23	2179	1150	53
5.	2023-24	1868	355	19

*****